

राजस्थान –सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।
क्रमांक :- ई-11/नर्स-2/आर-24/2019/ दिनांक-

—आदेश—

श्री रूपाराम चौधरी, नर्स द्वितीय, पी.बी.एम. एवं सम्बद्ध चिकित्सालय वर्ग, बीकानेर जिनका चयन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जोधपुर के आदेश क्रमांक-फा.सं. प्रशासन/संस्थापन/01/01/2017 एम्स.जोधपुर/1789 दिनांक 09.03.2019 के द्वारा वरिष्ठ परिचर्या अधिकारी(स्टाफ नर्स-1) के पद पर नियुक्ति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप इन्हे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जोधपुर में उपस्थिति देने हेतु कार्यमुक्त किया जाता है।

श्री रूपाराम चौधरी के लियन के संबंध में राजस्थान सेवा नियम-1951 का नियम 15 प्रभावी रहेगा।



(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :- ई-11/नर्स-2/आर-24/2019/612

दिनांक- 03/07/19

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधानाचार्य, सरदार पटेल आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर।
2. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन बीकानेर।
3. अधीक्षक, पीबीएम एवं सम्बद्ध चिकित्सालय वर्ग, बीकानेर को उनके पत्रांक 15326-29 दिनांक 02.07.2019 के क्रम में भेजकर लेख है कि कार्मिक को निर्धारित तिथि से पूर्व कार्यमुक्त करावें।
4. अतिरिक्त प्रधानाचार्य प्रथम एवं अध्यक्ष राजकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग एस.पी.एम.सी बीकानेर को उनके पत्र क्रमांक 1494 दिनांक 29.06.2019 के क्रम में।
5. उप निदेशक (प्रशासन), एम्स जोधपुर।
6. डीपीसी अनुभाग मुख्यालय।
7. श्री रूपाराम चौधरी, नर्स द्वितीय द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
9. आदेश/निजी पत्रावली।



अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।